



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2011/चैत्र 17, 1933

No. 597]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2011/CHAITRA 17, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2011

New Delhi, the 7th April, 2011

का.आ. 712(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सुरक्षा आयुक्त, दक्षिणी सर्किल, बेंगलूर को चेन्नई मेट्रो पोलिटन क्षेत्र में मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नियुक्त करती है।

S.O. 712(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby appoints the Commissioner of Railway Safety, Southern Circle, Bangalore to act as the Commissioner of Metro Railway Safety in respect of the Metro Railway Project in Chennai Metropolitan Area with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[फा. सं. के-14011/3/2011-एमआरटीएस/मेट्रो]

[F. No. K-14011/3/2011-MRTS/Metro]

बिमल कुजूर, अवर सचिव

BIMAL KUJUR, Under Secy.